दक्षिण मध्य रेलवे

संरक्षा.**387**/फ्लाई लीफ/**08/2024**

फ्लाई लीफ सं.**08/ 2024**

सर्व संबंधित **......** ध्यान दें **.....**

## पूर्व-व्यवस्थित पावर ब्लॉक

**(एसीटीएम, वॉल्यूम II, भाग - I. पैरा संख्या 20612 - 20613 का उद्धरण)**

***

### यातायात या पावर ब्लॉक और कार्य करने के लिए अनुमति(परमिट-टू-वर्क) प्राप्त करने की प्रक्रिया :

1. विद्युतीकृत क्षेत्र में कार्यरत पदाधिकारी जिन्हें कर्षण उपस्करों से खतरे वाले क्षेत्र में पूर्व-व्यवस्थित यातायात ब्लॉक, पावर ब्लॉक या कार्य करने के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता होती है, या जिन्हें निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य करने के लिए साइट पर ओएचई और/या बॉन्डिंग स्टाफ की उपस्थिति की आवश्यकता होती है, उन्हें सप्ताह के पहले कार्य दिवस को 10 बजे से पहले वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर (टीआरडी) के कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र में निम्नानुसार विवरण प्रस्तुत करना होगा -
    a. कार्य की प्रकृति और उसे निष्पादित करने की तारीख;
    b. कार्य किसके द्वारा किया जाना है;
    c. कार्य का स्थान और सेक्शन जहां की लाइनों ब्लॉक किया जाना है;
    d. ब्लॉक की आवश्यकता वाले स्थान के बीच की गाड़ियों का नाम; तथा
    e. क्या रेलपथ(ट्रैक) भाप या डीजल यातायात के लिए उपलब्ध होगा.
2. सभी विभागों की आवश्यकताओं को वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर (टीआरडी) के कार्यालय में समन्वित किया जाएगा तथा प्रत्येक बुधवार को 12 बजे तक संबंधित वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक को समेकित विवरण भेजा जाएगा, ताकि यातायात और पॉवर ब्लॉक लिए जाने के साप्ताहिक कार्यक्रम में शामिल किया जा सके.
3. टीपीसी से आपातकालीन ब्लॉक और कार्य करने की अनुमति(परमिट-टू-वर्क) लेकर तत्काल(अर्जेंट) प्रकार के कार्यों को किया जाएगा.
4. यातायात ब्लॉक, पॉवर ब्लॉक और काम करने की अनुमति(परमिट-टू-वर्क) से संबंधित कार्यों का साप्ताहिक कार्यक्रम वरिष्ठ परिचालन प्रबंधक के कार्यालय में तैयार किया जाएगा और सर्व संबंधितों (ब्लॉक मांगने वाले विभागीय पदाधिकारियों के अलावा टीपीसी, टीएलसी, लोको शेड, संबंधित स्टेशन मास्टर/यार्ड मास्टर तथा यातायात नियंत्रक) को भेजा जाएगा.
5. अधिकांश कर्षण सब-स्टेशनों पर कर्षण पॉवर ट्रांसफॉर्मर और संबंधित स्विच गियर के दो सेट होते हैं. इसलिए, कर्षण सब-स्टेशन के उपस्करों के अनुरक्षण के लिए, प्रत्येक सब-स्टेशन पर 25 केवी आपूर्ति को पूरी तरह से बंद करना आवश्यक नहीं है. जब भी कर्षण सब-स्टेशन में कोई अनुरक्षण कार्य करना होता है या खराबी की मरम्मत करनी होती है, तो प्रभारी पर्यवेक्षक को टीपीसी से कार्य करने के लिए अनुमति (परमिट-टू-वर्क) लेनी चाहिए और कार्य पूरा करने के बाद, प्रभारी पर्यवेक्षक को कार्य पूरा हो जाने की जानकारी टीपीसी को देनी चाहिए. इसी तरह स्विचिंग स्टेशनों पर आमतौर पर संबंधित सब-सेक्टर को वैकल्पिक फ़ीड उपलब्ध होती है और इसलिए, पावर ब्लॉक लेने की आवश्यकता नहीं होती है, यद्यपि टीपीसी से केवल कार्य करने की अनुमति लेनी चाहिए और कार्य पूरा होने के बाद उसे टीपीसी को कार्य पूरा हो जाने की जानकारी देनी चाहिए. स्विचिंग स्टेशन के गैंट्री की मरम्मत करने के मामले में, पूरे स्विचिंग स्टेशन का ब्लॉक लेने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए टीपीसी से पावर ब्लॉक लेना ही चाहिए.

### पूर्व-व्यवस्थित पॉवर ब्लॉक :

पूर्व-व्यवस्थित पॉवर ब्लॉक दिए जाने की सहमति मिलने के बाद तथा इस आशय की सूचना सर्व संबंधितों को दिए जाने के पश्चात, पॉवर ब्लॉक प्रदान करने के लिए सेक्शन कंट्रोलर तथा टीपीसी द्वारा अपनाई जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया निम्नानुसार है. मान लीजिए कि अप लाइन पर एलिमेंट्री सेक्शन संख्या ............ पर स्टेशन ............ तथा .......... के बीच विनिर्दिष्ट अप गाड़ी (मान लीजिए 'X') के गुजरने के पश्चात 10:00 बजे पावर ब्लॉक की आवश्यकता है : -

1. निर्धारित दिन को ब्लॉक लेने की अवधि से लगभग दो घंटे पहले, अर्थात् लगभग 8:00 बजे, टीपीसी संबंधित सेक्शन कंट्रोलर से पुष्टि प्राप्त करेगा कि गाड़ियां समय पर चल रही हैं और जब गाड़ी संख्या 'X' अप लगभग 10:00 बजे स्टेशन से गुजर जाएगी, तो पॉवर ब्लॉक निर्धारित समय के अनुसार उपलब्ध होगा.
2. टीपीसी अनुरक्षण गैंग के जूनियर इंजीनियर को सूचना देगा कि पॉवर ब्लॉक, जैसा कि पहले से ही व्यवस्थित है, समय पर उपलब्ध होगा.
3. अनुरक्षण करने वाले गैंग को चाहिए कि वे सभी सामग्रियों और औजारों के साथ समय पर डिपो छोड़ने की व्यवस्था करें ताकि लगभग 9:30 बजे साइट पर तैयार रहें. ओएचई स्टाफ (कार्य के प्रभारी) को साइट पर पहुंचते ही तुरंत टीपीसी से संपर्क करना चाहिए और उन्हें अपने आगमन की सूचना देनी चाहिए. बिजली आपूर्ति बंद करने हेतु आइसोलेटर स्विच ओपन करने के लिए नियुक्त किए गए व्यक्ति को भी साइट के आवश्यक स्थान पर पहुंचने की सूचना टीपीसी को देनी चाहिए. अनुरक्षण करने वाले गैंग को ओएचई पर अनुरक्षण कार्य करने के लिए जाते समय कम से कम दो पोर्टेबल टेलीफोन सेट और आवश्यक अर्थिंग पोल असेंबली अपने साथ ले जाना चाहिए.
4. टीपीसी को साइट पर ओएचई स्टाफ के साथ निरंतर संपर्क में रहना चाहिए.
5. जैसे ही X' अप ........ और ........ के बीच अप ट्रैक को क्लियर करता है, सेक्शन कंट्रोलर सभी संबंधित स्टेशनों पर ड्यूटी पर मौजूद स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा कि वे स्टेशन संचालन नियमों में निर्धारित "लॉंगीट्यूडिनल" और "क्रॉस" सुरक्षा की व्यवस्था करें (पैरा 20621 से 20626 देखें).
6. स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि स्टेशन संचालन नियमों में विनिर्दिष्ट सुरक्षा का अनुपालन किया गया है तथा निजी नंबरों के आदान-प्रदान के साथ सेक्शन कंट्रोलर से इसकी पुष्टि करेगा.
7. संबंधित स्टेशन मास्टरों से आश्वासन मिलने पर सेक्शन कंट्रोलर टीपीसी से कहेगा कि पावर ब्लॉक दिया जा सकता है.
8. यदि टीपीसी द्वारा पॉवर ब्लॉक का संदेश निर्धारित मुद्रित प्रपत्र में दिया जाता है तो सेक्शन कंट्रोलर उस पर हस्ताक्षर करेगा तथा उसे टीपीसी को भेजेगा; यदि यह संदेश टेलीफोन पर दिया जाता है तो सेक्शन कंट्रोलर निजी नंबरों के आदान-प्रदान के साथ संदेश के माध्यम से पॉवर ब्लॉक प्रदान करेगा.
9. उपरोक्त संदेश प्राप्त होने पर टीपीसी संबंधित इंटरप्टर्स को ओपन करेगा और आवश्यक आइसोलेटरों को ऑपरेट करने के लिए फील्ड स्टाफ को संदेश जारी करेगा. आइसोलेटर ओपन कर दिए गए हैं का पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होने पर, टीपीसी इंटरप्टर्स को बंद कर देगा और सभी भागों में बिजली आपूर्ति बहाल हो जाएगी, सिवाय उस विशिष्ट एलिमेंट्री सेक्शन के, जहां कार्य किया जाना है. इसके बाद वह अनुरक्षण करने वाले गैंग के प्राधिकृत प्रभारी को कार्य करने की अनुमति का संदेश निर्धारित प्रपत्र में जारी करेगा.
10. अनुरक्षण करने वाला गैंग स्वयं की सुरक्षा के लिए आवश्यक संरक्षा सावधानियाँ बरतने के बाद कार्य आरंभ करेगा, अर्थात अर्थिंग, बैनर-झंडे लगाने आदि के बाद, जैसा कि साधारण और सहायक नियमों में दिया गया है.
11. *टिप्पणी :* स्वचालित सिगनलिंग वाले सेक्शनों पर, पॉवर ब्लॉक की अवधि के दौरान पटरियों के साथ ओएचई का अर्थिंग किए जाने के कारण सिगनल खतरे में हो सकते हैं. पॉवर ब्लॉक के दौरान यदि भाप और डीजल गाड़ियों को सेक्शन में चलने की अनुमति दी जाती है, तो स्टेशन मास्टर नियमों के अनुसार आवश्यक प्राधिकार जारी करेगा.

**कार्य पूर्ण हो जाने के बाद (परमिट-टू-वर्क वापस किये जाने पर) बिजली आपूर्ति की बहाली :**

कार्य पूरा होने पर, कार्य करने की अनुमति प्राप्त करने वाला व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि –

1. विद्युत उपस्कर और उसके आस-पास से सभी व्यक्तियों और सामग्रियों को हटा लिया गया है,
2. कार्य दल की सुरक्षा के लिए प्रदान की गई सभी अर्थिंग हटा दी गई हैं; तथा
3. सभी स्टॉफ, जिन्हें काम पर तैनात किया गया था, को चेतावनी दी जानी है कि बिजली आपूर्ति बहाल की जानी है.

इसके बाद उसे संदेश द्वारा और निजी नंबर द्वारा टीपीसी को सूचित करना चाहिए कि जिस कार्य के लिए परमिट-टू-वर्क जारी किया गया था, वह पूरा हो गया है, विनिर्दिष्ट सेक्शन से व्यक्तियों और सामग्रियों को हटा लिया गया है, अर्थिंग हटा दी गई हैं और सेक्शन में बिजली आपूर्ति बहाल की जा सकती है. यह पहले लिए गए परमिट-टू-वर्क को रद्द करने के रूप में माना जाएगा.

***